

2021/12

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री दुर्गाशंकर
जाति रावल
निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा,
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 02 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
27.01.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 15.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 17.7.2020 को कमलादेवी ने प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि वीराराम पुत्र हीमाजी जाति माली निवासी नितौडा ने उनके खातेदारी भूमि में तोड़-फोड़ करके नुकसान किया है। उक्त घटना की हल्का पटवारी नितौडा को भेजकर मौका फर्द बनाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 15.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 17.7.2020 को कमलादेवी ने प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया गया कि वीराराम पुत्र हीमाजी जाति माली निवासी नितौडा ने उनके खातेदारी भूमि में तोड़-फोड़ करके नुकसान किया है। उक्त घटना की हल्का पटवारी नितौडा को भेजकर मौका फर्द बनाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही